



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता-700001

दिनांक: 13.01.2025

कार्यालय आदेश सं 01/2025

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अभिजीत दास, कारखाना सलाहकार अधिकारी को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, इस्लामपुर से कार्यालय ज्ञापन संख्या 90/2024 दिनांक 30.08.2024 के तहत बोर्ड के कार्य की अनिवार्यता और प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप, उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टी बोर्ड के उपाध्यक्ष ने श्री अभिजीत दास, कारखाना सलाहकार अधिकारी द्वारा पूर्व में धारित समान वित्तीय शक्तियों को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, इस्लामपुर से संबद्ध श्री ध्रुवज्योति गोहेन, कारखाना सलाहकार अधिकारी के पक्ष में इस शर्त के अधीन प्रत्यायोजित किया है कि वह उस कार्यालय का अग्रिम लेखा बनाए रखेंगे और चाय अधिनियम, 1953, चाय नियम, 1954, चाय बोर्ड उपनियम, 1955 और कार्यकारी समिति/बोर्ड के अन्य निर्णय के प्रावधानों का भी पालन करेंगे।

(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्र)

वितरण:-

1	श्री ध्रुवज्योति गोहेन कारखाना सलाहकार अधिकारी, टी बोर्ड, इस्लामपुर	
2	निदेशक चाय विकास	
3	वि.स. एवं मु.ले.अ.	
4	उ.नि.चा.वि., सिलिगुड़ी	
5	सचिव	
6	उपाध्यक्ष/वि.स. एवं मु.ले.अ./नि.चा.वि./ सचिव के नि.सह	
7	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
8	टीबीईए	
9	सचिवालय शाखा	
10	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियों सहित

संदर्भ. फाइल सं.1(7)/स्था/2019/पी-III